लोकतंत्र क्या है

लोकतंत्र षासन में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसे षासन का अब तक का सबसे बेहतरीन रूप भी माना जाता है। क्योंकि इसमें जनता ही सरकार बनाती है। सदियों तक राजाओं और बादषाहों की मनमानी से लड़कर हमने यह अनोखी प्रणाली पाई है।

लोकतंत्र हासिल करने की लड़ाइयां काफ़ी कठिन होती हैं। इसका अंदाज़ा हम अपनी आज़ादी की लड़ाई से लगा सकते हैं।

लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र, जनतंत्र और लोकषाही जैसे नामों से भी जानते हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

लोकतंत्र में जनता को अपना प्रतिनिधि या नुमाइंदा चुनने की ताक़त होती है। वह अपने बीच से ऐसा व्यक्ति चुनती है, जो सरकार में उसकी आवाज बने। ऐसा वह उन कुछ लोगों में से किसी एक को चुनकर करती है जो, उसकी आवाज बनने का दावा करते हुए, उसके सामने खड़े होते हैं। यह चुनाव ही लोकतंत्र की आधार षिला है। जनता द्वारा चुने यही प्रतिनिधि सरकारों का गठन करते हैं। इस तरह जो सरकार बनती है, वह जनता की सरकार होती है।

जन प्रतिनिधि कौन होता है

भारत में षासन की प्रणाली के कई स्तर हैं और हर स्तर पर जन प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है।

गांव इसकी सबसे षुरूआती इकाई है। यहां ग्रामीण पंचों और सरपंचों के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यही पंच और सरपंच ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव को कुछ वार्डों में बांट दिया जाता है। अलग–अलग गांवों में जनसंख्या के लिहाज से वार्डों की संख्या अलग–अलग हो सकती है। इन्हीं वार्डों से जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वे पंच कहलाते हैं। सरपंच का चुनाव सारे गांववासी मिलकर करते हैं। कुछ जगहों पर पंच ही सरपंच का चुनाव करते हैं। इसे 'अप्रत्यक्ष प्रणाली' कहा जाता है।

हमारी पंचायत प्रणाली के भी तीन स्तर है। ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर के लिए इसी तरह से जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो जिला पाशर्द कहलाते हैं।

इसी तरह षहरों में नगरपालिकाओं तथा नगरनिगमों के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये पाशर्द या कौंसलर कहलाते हैं।

इस तरह स्थानीय स्तर पर जनता अपना राज्य खुद चलाती है। इसलिए सरकार के इस रूप को स्थानीय स्व–षासन कहा जाता है तथा पंचायतें और नगरपालिकाएं आदि स्थानीय निकाय कहलाती हैं।

इसी तरह राज्य विधानसभाओं के लिए जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जो राज्य सरकार का गठन करते हैं। गांव तथा षहर की तरह ही राज्य विधान सभा के चुनाव के लिए राज्य को विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि विधायक या एम. एल. ए. कहलाते हैं।

देष के स्तर पर केन्द्रीय सरकार बनाने के लिए जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वे संसद सदस्य, सांसद या एम. पी. कहलाते हैं। इस चुनाव के लिए पूरे देष को विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। संसद के लिए चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार का गठन करते हैं।

मतदाता कौन है

– सरकार बनाने के लिए जो लोग जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वे मतदाता कहलाते हैं।
– भारत में मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना आवष्यक है।
– देष का हर वह नागरिक मतदाता हो सकता है जिसकी उम्र 18 साल की हो गई हो।
– मतदाता होने के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो।

मानसिक रोगी या पागल को मतदान का अधिकार नहीं मिलता। देषद्रोह के मामले में अपराधी साबित होने वाला भी मतदाता नहीं हो सकता। अगर किसी के अपराध को अदालत लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह मानती है तो अदालत उसे भी मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है।

मतदाता सूची क्या होती है

– मतदाता सूची में उन सभी लोगों का नाम दर्ज होता है जो वोट देने के योग्य होते हैं।

– यह सूची हर निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के आधार पर बनाई जाती है।

– किसी भी मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या निष्चित नहीं होती। लेकिन आमतौर पर यह संख्या 1500 से ज़्यादा नहीं होती।

– कमजोर वर्ग के क्षेत्रों में विषेश मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, जहां मतदाताओं की संख्या कम भी हो सकती है।

– दूर–दराज के पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाक़ों में ऐसे भी मतदान केंद्र होते हैं, जहां मतदाताओं की संख्या कई बार एक–दो ही होती है।

– लोकतंत्र की यही खासियत है कि इसमें हर मतदाता का अपना महत्त्व होता है।

मतदाता सूचियों को सही रखने के लिए निर्वाचन आयोग समय–समय पर अपना अभियान चलाता है। ऐसे अभियानों के तहत कर्मचारी घर–घर जा कर नए मतदाताओं के नाम दर्ज करते हैं। जिन मतदाताओं का निधन हो गया हो या जिन्होंने अपना निवास बदल लिया हो, उनके नामों को सूची से निकाल दिया जाता है।

यह अभियान हर पांच साल में बड़े ही व्यापक स्तर पर पूरे देष में चलाया जाता है। इसके अलावा हर साल ऐसा अभियान थोड़े छोटे पैमाने पर होता है। एक और खास अभियान किसी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों या फिर स्थानीय निकायों के चुनाव के समय भी चलाया जाता है।

जो लोग इन अभियानों के दौरान अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते, वे मतदाता सहायता केंद्र से आवेदन फार्म हासिल करके और उसे भर कर वहीं

जमा करा सकते हैं। ऐसे केंद्र जिला स्तर पर कलेक्टर के कार्यालय में और ब्लॉक, प्रखंड तथा तालुका स्तर के कार्यालयों में होते हैं।

इस आवेदन फार्म को वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। उसे भर कर व्यक्तिगततौर पर बूथ लेविल अधिकारी (बी.एल.ओ.) के पास जमा किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है।

मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने, नाम जोड़ने, नाम हटाने के लिए कई तरह के आवेदन फार्म होते हैं। जैसेः–

Qke u0&6 : नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने या फिर किसी वजह से नाम कट गया है तो उसे फिर से सूची में जुड़वाने के लिए।

Qke u0&7 : मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इसे भरना होता है।

Qke u0&8 : मतदाता के नाम और उससे संबंधित विवरण में गलती सुधारने के लिए भरा जाता है। अगर निवास स्थान बदल गया है लेकिन निर्वाचन क्षेत्र वही है तो उसके लिए भी फार्म–8 भरना होता है।

मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड)

भारत में हर मतदाता को एक पहचान पत्र जारी किया जाता है। यह पहचान पत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। मतदाता पहचान पत्र में मतदाता का चित्र, नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग और पता दर्ज होता है। साथ ही इसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी दर्ज होता है।

मतदाता पहचान पत्र कानूनी रूप से एक मान्य दस्तावेज होता है। चुनाव के अलावा दूसरे कई कामों में भी यह पहचान के दस्तावेज के रूप में माना जाता है। देष के नागरिक के रूप में व्यक्ति की पहचान के लिए इसका

इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं तथा अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ पाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है।

मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड) कैसे प्राप्त करें

मतदाता पहचान पत्र उसी व्यक्ति का बनता है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। किस इलाके के पहचान पत्र किस दिन बनेंगे, इसकी सूचना समाचारपत्रों में दे दी जाती है। दूसरे माध्यमों से भी इसकी जानकारी दी जाती है।

इन अभियानों के दौरान अगर कोई अपना पहचान पत्र नहीं बनवा पाता तो निराष ना हो। मतदाता पहचान पत्र के लिए विषेश केंद्र बनाए गए हैं। वहां जाकर एक फार्म भरें। साथ में दो पासपोर्ट साइज के फोटो भी दें। इन दो फोटो का खर्च मतदाता को स्वयं ही उठाना होगा। पहचान पत्र बनाने की कोई फीस नहीं ली जाती।

फोटोग्राफी पहचान पत्र अभियान के बाद एक बार फिर मतदाता सूची प्रकाषित की जाती है। उसमें मतदाता का फोटो तथा अन्य विवरण होता है

मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र आवष्यक है। जिसके पास पहचान पत्र न हो, लेकिन मतदाता सूची में नाम हो तो वह मतदान कर सकता है। बस फोटो लगा कोई प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी के सामने पेष करना होगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डाकघर या बैंक की पास बुक, राषन कार्ड आदि कुछ ऐसे मान्य दस्तावेज है जिन्हें पेष करके मतदान किया जा सकता है।

कौन कराता है चुनाव

चुनाव कौन कराता है? क्या सरकार चुनाव कराती है? नहीं, चुनाव कराता है 'चुनाव आयोग'। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। राज्यों के स्तर पर, राज्य चुनाव आयोग होते हैं। वे भारत के चुनाव आयोग के ही तहत काम करते हैं। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों तथा स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करते हैं। भारत का चुनाव आयोग संसदीय तथा राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित करता है। भारत के चुनाव आयोग की ओर से राज्य चुनाव आयोग, संबंधित राज्यों में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है।

चुनाव घोशित हो जाने के बाद जिला प्रषासन से लेकर पूरा प्रषासन चुनाव आयोग के तहत काम करने लगता है। इस दौरान सरकार की भूमिका काम चलाऊ होती है। वह एक तरह से केवल चुनाव आयोग के सहायक की भूमिका में ही होती है।

कब होते हैं चुनाव

भारत में हर पांच साल में चुनाव होते हैं। पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर यही अवधि रखी गई है। परन्तु कई बार पांच साल से पहले भी चुनाव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि संसद या विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनती है, वह अल्पमत में आ जाती है।

अल्पमत की कई वजहें हो सकती हैं। जैसे– जिस दल ने सरकार बनाई थी वह किसी वजह से टूट जाता है या उसमें विभाजन हो जाता है या जिन दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, वह गठबंधन टूट जाता है। ऐसे में यदि कोई दूसरी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता तो राज्य विधानसभा या संसद को समय से पहले भंग कर दिया जाता है और पांच साल से पहले ही चुनाव हो जाते हैं। कभी–कभी राज्य में कानून और व्यवस्था के बिगड़ जाने के कारण भी विधानसभा भंग कर दी जाती है।

कई बार खुद सरकार बहुमत में होने के बावजूद राज्य हित को सामने रखते हुए, तय अवधि से पहले ही, चुनाव कराने की सिफारिष कर देती है। चुनाव आयोग अगर इसे स्वीकार करले तो तय अवधि से पहले ही चुनाव करा दिए जाते हैं।

कभी कभी पांच साल की अवधि पूरी होने पर भी चुनाव नहीं हो पाते। इसकी एक वजह आपातकाल (इमर्जेन्सी) की स्थिति हो सकती है। जैसे कि किसी दूसरे देष से युद्ध चल रहा हो तो ऐसे में पांच साल की तय अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

लेकिन ये तमाम असाधारण स्थितियां होती है। साधारण स्थिति में चुनाव की अवधि पांच साल ही रखी गई है।

आचार संहिता क्या होती है

चुनाव की तिथि की घोशणा होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका पालन करना होता है ताकि निश्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकें। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारें कोई नीतिगत घोशणा नहीं कर सकती। वे ऐसी कोई घोशणा नहीं कर सकतीं जिससे मतदाताओं के सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में झुकने का अंदेषा हो। इस दौरान सरकारें अपनी मर्जी से प्रषासनिक फैसले भी नहीं ले सकती। तबादले आदि भी नहीं कर सकती।

चुनाव अधिसूचना, नामांकन तथा प्रचार

चुनाव की तिथि की घोशणा के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होती है। इस अधिसूचना में यह बताया जाता है कि किस तिथि से किस तिथि तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, किस तिथि से किस तिथि तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे, मतदान की तिथि क्या होगी।

नामांकन पत्र वापस लिए जाने की तिथि के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार के लिए चौदह दिन का वक्त मिलता है। उम्मीदवारों को मतदान षुरू होने से 48घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है। वे न तो कोई सभा कर सकते हैं और न ही माइक से प्रचार। लेकिन उम्मीदवार घर–घर जाकर अवष्य ही अपने पक्ष में प्रचार कर सकते हैं।

एक तरफ चुनाव की यह राजनीतिक प्रक्रिया चल रही होती है तो दूसरी तरफ प्रषासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही होती हैं। एक तरफ़ सुरक्षा बलों को षांतिपूर्ण तथा निश्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए तैनात किया जाता है तो दूसरी तरफ़ चुनाव कराने वाली एक पूरी मषीनरी तैयार होती है। मतदान केंद्र अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त होते हैं। आमतौर पर ये सभी लोग अध्यापक और सरकारी कर्मचारी होते हैं। उन्हें इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके लिए उन्हें वोटिंग मषीन चलाने और मतदान कराने की बाक़ायदा ट्रेनिंग दी जाती है।

कौन हो सकता है उम्मीदवार

भारत का हर वह नागरिक चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है जिसका:

– मतदाता सूची में नाम हो
– जो सजायाफ्ता ना हो।
– मानसिक रोगी ना हो।
– जिसकी उम्र 25 वर्श या उससे अधिक हो।

हर उम्मीदवार को नामांकन के समय एक निष्चित धन राषि जमानत के रूप में जमा करानी होती है। यह धन राषि चुनाव आयोग तय करता है। उम्मीदवार को यदि डाले गए कुल वोटों का पांचवां हिस्सा वोट भी नहीं मिलते तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है।

इसके अलावा हर उम्मीदवार को नामांकन के समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, जिसमें पति, पत्नी और उसके सभी आश्रितों की संपत्ति षामिल होती है। उम्मीदवार को अपनी षैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी देनी होती है। साथ ही यह भी बताना पड़ता है कि उसका कोई अपराधिक रिकार्ड तो नहीं है।

चुनाव आयोग चुनाव खर्च की एक सीमा तय करता है। हर उम्मीदवार को खर्च की उसी सीमा में चुनाव लड़ना पड़ता है। उसे चुनाव आयोग द्वारा तय की गई अन्य षर्तों का भी पालन करना पड़ता है। जैसे रात दस बजे के बाद आम सभाओं का आयोजन तथा स्पीकरों का उपयोग नहीं किया जा सकता। दीवार लेखन करके या पोस्टर आदि चिपका कर किसी की संपत्ति को नुकसान पंहुचना या उसे गंदा करना भी मना है। धार्मिक और जातिवादी भावनाएं भड़काने की भी मनाही है। उम्मीदवार इनमें से किसी भी षर्त या सीमा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाई हो सकती है। अदालत में इसकी अपील भी की जा सकती है।

मतदान का दिन

यह एक तरह से लोकतंत्र के त्यौहार का दिन होता है। इस दिन हर जगह छुट्टी होती है। हर क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग मतदान का एक दिन तय करता है। हर मतदान केंद्र के कर्मचारी तथा अधिकारी अक्सर एक दिन पहले ही मतदान केंद्र पहुंच कर तैयारी षुरू करते हैं। इस तैयारी में वोटिंग मषीन लगाना, मतदान करने की जगह बनाना, कर्मचारियों को काम बांटना, उनके बैठने और विभिन्न पार्टियों के पोलिंग एजेंटों के बैठने की जगह तय करना षामिल है।

उनके साथ ही सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए जाते हैं। मतदान केंद्र के बाहर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों तथा उम्मीदवारों के चुनाव एजेंट भी बैठते

हैं। लेकिन वे मतदान केंद्र से एक तय दूरी पर ही बैठते हैं। यह सुनिष्चित किया जाता है कि वे वहां अपनी पार्टी या उम्मीदवार का प्रचार न करें। उनका मुख्य काम होता है मतदाताओं की सहायता करना ताकि उनको किसी परेषानी का सामना ना करना पड़े।

मतदान सुबह षुरू हो जाता है। मतदान षुरू होने का समय अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग होता है। कहीं मतदान साढ़े सात बजे षुरू होता है तो कहीं आठ बजे। मतदान साढ़े सात बजे षुरू हो तो साढे चार बजे तक चलता है। जहां मतदान आठ बजे षुरू होता है वहां वह पांच बजे तक चलता है। जो मतदाता इस तय अवधि तक मतदान केंद्र में पंहुच जाते हैं, उन्हें मतदान करने का अवसर अवष्य ही मिलता है, चाहे उसमें कितना ही समय लगे।

मतदान कैसे करें

- मतदाता को सबसे पहले मालूम करना होगा कि मतदाता सूची में उसका नाम है या नहीं।
- यह जानकारी उसको बूथ लेविल अधिकारी से मिल सकती है।
- जिन लोगों का नाम मतदान सूची में होता है उन्हें बूथ लेविल अधिकारी पहले ही एक पर्ची पहुंचा देता है। इस पर्ची में मतदान केन्द्र, मतदाता क्रमांक संख्या आदि ब्यौरा दर्ज होता है। इस पर्ची को लेकर मतदाता जब मतदान केन्द्र पहुंचता है तो उसे ब्यौरा तलाषना नहीं पड़ता और मतदान करना आसान हो जाता है।
- लेकिन इस पर्ची के न होने पर परेषान होने की ज़रूरत नहीं है।
- मतदाता को इस पर्ची के बग़ैर भी मतदान केन्द्र जाना चाहिए।

मतदान के लिए आवष्यक दस्तावेज

मतदान केंद्र जाते हुए हर मतदाता को मतदाता पहचान पत्र अवष्य साथ ले जाना चाहिए। मतदान के लिए यह एक आवष्यक दस्तावेज है।

मतदाता पहचान पत्र न हो तो पहचान के लिए आधार कार्ड, राषन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोवाला जाति प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य बीमा का स्मार्ट कार्ड, अंत्योदय योजना कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटोवाला षारीरिक विकलांगता कार्ड, किसी राश्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर की फोटोवाली पास बुक अथवा पेंषन संबंधी कोई दस्तावेज साथ ले जाएं। इन्हें दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

मतदान केंद्र पर पहुंच कर क्या करें

अगर बी. एल. ओ. द्वारा पंहुचाई गई पर्ची न हो तो भी मतदान केंद्र पर जाइए। अपनी पहचान के लिए ऊपर लिखे में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ ले जाइए। मतदान केंद्र से एक तय दूरी पर विभिन्न उम्मीदवारों के चुनाव एजेंट बैठे होते हैं। उनके पास मतदाता सूची भी होती है। आप वहां यह देख सकते हैं कि मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं।

अगर मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है तो चुनाव एजेंट आपको आपका सारा विवरण दे देंगे। आप अपने विवरण की यह पर्ची लेकर मतदान केंद्र के अंदर जाइए।

वहां सबसे पहले मतदान केंद्र के कर्मचारी को यह पर्ची दीजिए। मतदाता पहचान पत्र या अपनी पहचान का अन्य दस्तावेज दिखाइए। संबधिंत कर्मचारी इस विवरण की पुश्टी करेंगे। वहां भी उम्मीदवारों के चुनाव एजेंट बैठे होते हैं ताकि वे इसकी पुश्टि करें कि मतदाता सही व्यक्ति है। इसके बाद कर्मचारी रजिस्टर में आपके नाम के सामने आपके हस्ताक्षर कराता है। जो लोग हस्ताक्षर नहीं कर सकते उनके अंगूठे का निषान लगवाया जाता है। अब कर्मचारी आपके बाएं हाथ की पहली उंगली पर स्याही का निषान लगाता है।

दूसरा कर्मचारी कंट्रोल यूनिट में वोट लोड करता है। इसके बाद आप चुनाव मषीन पर पंहुचते हैं। यह एकांत स्थान होता है। वहां आप गुप्तरूप से वोट देते हैं। चुनाव मषीन पर आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के

नाम और उसके चुनाव निषान को देखते हैं। उसके सामने वाला नीला बटन दबाते हैं। नीला बटन दबाते ही लाल बत्ती चमकती और पीं की आवाज आती है। लीजिए हो गया मतदान।

आपका वोट गुप्त है। आप किसी से भी ना बताएं कि आपने किसे वोट दिया है।

अगर आप वोट ना देना चाहें तो क्या करें

रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद अगर आप मतदान न करना चाहें तो फौरन मतदान केंद्र अधिकारी को इसकी सूचना दे। अधिकारी मतदाताओं के रजिस्टर में यह दर्ज करेगा कि आपने वोट न देने का फ़ैसला किया है। इस नोट के सामने आपको हस्ताक्षर करने होंगे।

कोई आपके वोट को चुनौती देता है तो क्या करें

किसी उम्मीदवार का चुनाव एजेंट आपको चुनौती दे सकता है कि आप वही व्यक्ति नहीं है जिसका नाम सूची में दर्ज है। ऐसा होने पर मतदान केंद्र अधिकारी चुनौती देने वाले से सबूत मांगेंगा कि उसने किस आधार पर चुनौती दी है।

अधिकारी आपसे भी आपकी पहचान का सबूत मांगेंगा। ऐसे में आप अपना मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट, राषनकार्ड जैसे दूसरे दस्तावेज दिखा सकते हैं। इनसे आपकी पहचान की पुश्टि हो जाएगी।

चुनौती ग़लत साबित होने पर आप मतदान कर सकेंगे।

अगर चुनौती को सही पाया जाएगा तो आप मतदान नहीं कर सकेंगे। साथ ही मतदान केंद्र अधिकारी लिखित षिकायत के साथ आपको पुलिस के हवाले कर देगा।

अगर कोई और आपका वोट डाल दे तो क्या करें

आपको अगर यह पता चले कि आपका वोट पहले ही डाला जा चुका है तो आप फौरन मतदान केंद्र अधिकारी को यह बात बताएं। ऐसे में कानून आपको 'टेंडर वोट' देने की अनुमति देता है। आपको एक टेंडर्ड मत–पत्र दिया जाएगा और आपको टेंडर्ड मतों की सूची पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। अपनी पंसद के उम्मीदवार का चुनाव करके आप वह टेंडर्ड मत–पत्र मतदान केंद्र अधिकारी को सौंप देंगे जो उसे एक अलग कवर में रखेगा। याद रखिए कि ऐसे मामले में आप चुनाव मषीन से अपना मत नहीं दे सकते।

अगर आपको कोई भी षिकायत हो तो किससे संपर्क करें

अगर मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र और चुनाव से संबंधित कोई भी अन्य षिकायत हो तो आप निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क करें:

राज्य स्तर पर	मुख्य चुनाव अधिकारी
जिला स्तर पर	जिला चुनाव अधिकारी
निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर	चुनाव अधिकारी
तालुका तहसील स्तर पर	सहायक चुनाव अधिकारी
निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर	पंजीकरण अधिकारी
मतदान केंद्र स्तर पर	चुनाव अधिकारी

इसके अलावा हर चुनाव में चुनाव आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति करता है। ये प्रेक्षक राज्य से बाहर के वरिश्ठ प्रषासनिक सेवा अधिकारी होते हैं। अगर आपको कोई षिकायत या समस्या हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं।

ऐसा अवष्य करें

- जैसे ही 18 साल के हों, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं।
- मतदाता पहचान पत्र जरुर बनवाएं।
- पहचान पत्र में कोई ग़लती हो तो, उसे तुरंत ठीक कराएं।

- मत देना हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। इसलिए वोट जरूर दें।
- उम्मीदवार चुनने के लिए उसकी षिक्षा–दीक्षा, धन, दौलत, आपराधिक रिकार्ड आदि के बारे में पूरी जानकारी लें।
- आप किसे वोट देने जा रहे है, यह जानकारी गुप्त रखें।

ऐसा कभी ना करें

- एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में नाम ना दर्ज कराएं।
- एक से ज्यादा मतदाता पहचान पत्र ना बनवाएं।
- वोट के बदले कोई उपहार ना लें।
- जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर उम्मीदवार न चुनें।
- चुनाव के दिन मतदान केंद्र के आस–पास प्रचार न करें।
- मतदान केंद्र के भीतर कोई बैनर, पर्चा, बैज–बिल्ला ना ले जाएं।
- किसी को ना बताएं कि किसे वोट दिया है।

क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मषीन

- मतदाता अपना मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मषीन (इ.वी.एम) के द्वारा करता है।
- सभी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मषीन से वोट दिया जाता है। वोटिंग मषीन ''एक मतदाता एक वोट'' के सिद्धांत पर वोट रिकार्ड करती है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मषीन पर सभी उम्मीदवारों के नाम तथा उसके सामने चुनाव चिन्ह छपे रहते है। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला नीला बटन दबाता है। बटन दबाते ही पीं की आवाज़ आती है। साथ ही लाल बत्ती चमकती है। इस तरह मतदान हो जाता है।

मतदाताओं के अधिकार

- VsMj okV nus dk vf/kdkj% आपका मत कोई गलत व्यक्ति दे दे तो आपको टेंडर वोट देने का हक़ है।

- विकलांग और बहुत वृद्ध मतदाताओं को विषेश अधिकार प्राप्त हैं। मदद के लिए वे अपने साथ एक व्यक्ति को मतदान केंद्र में ले जा सकते है। साथ ही उन्हें बिना कतार में लगे मतदान कर्मी तक जाने का अधिकार है।
- मतदाता को किसी उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भी लगा दी जाती है।
- सभी मतदाताओं को बिना किसी दबाव और लालच के अपनी समझ से मत देने का अधिकार है।
- मतदान का समय तय रहता है। समय समाप्त होने के पहले यदि मतदाता मतदान केंद्र की कतार में खड़े हो गए हैं तो उन्हे मतदान का अवसर अवष्य मिलेगा। निर्धारित समय के बाद मतदान केंद्र पर आने वालों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए कम संख्या में भी मतदान केंद्र बनाने का इंतज़ाम है। जैसे कुश्ठरोग आश्रम में रहने वालों के लिए अलग–मतदान केंद्र बनाया जा सकता है चाहे उनकी संख्या 500 से कम हो क्यों न हो।

निर्वाचन आयोग का कैलेंडर

- जुलाई : वार्शिक कार्य योजना बनाना।
- 1 अक्टूबर : मतदाता सूची के मसौदे (डाफ्ट्र) की घोशणा।
- अक्टूबर–नवम्बर : दावे दर्ज कराने/गलतियों को सुधारने, बदलाव करने एवं नाम हटाने/जुड़वाने के लिए दावे दर्ज करना।
- 1 जनवरी : अन्तिम मतदाता सूची की घोशणा।
- 25 जनवरी : राश्ट्रीय मतदाता दिवस।